FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0041 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 12/02/2026 12:21 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/01/2026 **Date To (दिनांक तक):** 09/02/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 12:59 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/02/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 12/02/2026 12:21:41 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** 6-8, EVEREST COLONY,KARYALAY KOSHALYA PENSION, LALKOTHI JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHAGWAT SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** CHANDU SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1987 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	C 47, SHRI RAM NAGAR, JHOTWARA, JHOTWARA, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	C 47, SHRI RAM NAGAR, JHOTWARA, JHOTWARA, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJESH KUMAR KHANDELWAL		पिता:RAMKISHOR KHANDELWAL	1. C 9/618,KRISHNA MARG CHITRAKUT,VAISHALI NAGAR JAIPUR,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 19.01.2026 को श्री सुरेश स्वामी उप अधीक्षक पुलिस ने मन् पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष में बुलाया तथा वहां पर बैठे एक व्यक्ति नाम श्री भवगत सिंह होना बताया है तथा श्री भगवत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिया जाकर प्रार्थना पत्र पर अंकित किया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री भगवत सिंह को मय प्रार्थना पत्र के साथ लेकर मेरे कक्ष में आया। श्री भगवत सिंह ने मन् पुलिस निरीक्षक को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि " सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नगर चतुर्थ जयपुर। विषय- कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मै भगवत सिंह पुत्र स्व. श्री चन्दू सिंह बारेठ उम्र 38 साल निवासी C- 47 श्री रामनगर झोटवाडा जयपुर का निवासी हु। मेरे पिताजी स्व. श्री चन्दू सिंह का स्वर्गवास दिनांक 13 जनवरी 2021 को हो गया था। जिसके पश्चात नियमानुसार पारिवारिक पेंशन मेरी माताजी श्रीमती गीता देवी पीपीएफ नम्बर 197463 के द्वारा ग्रहण की जाती हैं। माह अक्टूबर 2025 तक पेंशन नियमित रूप से मेरी माताजी के खाते में आ रही थी। माह नवम्बर 2025 में मेरी माताजी की पेंशन में अनियमित कटौती हुई। जिसकी जानकारी हेतु मै कार्यालय कोषालय (पेंशन) जयपुर प्लॉट न. 6-7 एवरेस्ट कॉलोनी लालकोठी जयपुर में जाकर पता किया तो मुझे वहा श्री राजेश जी से मिलने को बोला गया जिस पर मै दिनांक 12.01.2026 को उनके ऑफिस में जाकर मिला तो वो वहा पर मिले तथा उनके पास एक व्यक्ति और भी बैठा था। श्री राजेश जी AAO से मैने मेरी माताजी की पेंशन में कटौती के बारे में पूछा तो उन्होने बोला की यह सिस्टम की खराबी है आप 10000 रू दे देना, तब आपकी पेंशन अगले माह से पूरी कर दी जायेगी। साथ ही उन्होने यह भी बताया की आपके पिताजी का पूर्व का कोई एरियर बकाया है जिसका भुगतान होना है, परन्तु जितना एरियर बनेगा उसका दस प्रतिशत लगेगा, जैसे दो लाख पर बीस हजार, तीन लाख पर तीस हजार एवं पेंशन चालु करने के लिए आप आपकी माताजी के पेंशन का पीपीओ लेकर दिनांक 19.01.2026 सोमवार को ऑफिस आ जाना। मै श्री राजेश खण्डेलवाल एएओ साहब कार्यालय पेंशन विभाग लालकोठी जयपुर को 10000 रूपये की रिश्वत राशि नही देकर इनके विरूद्व कार्यवाही करवाना चाहता हु मेरा श्री राजेश जी खण्डेवाल AAO से पूर्व में कोई लेनदेन बकाया नही है व ना ही हमारी आपसी रंजिश है। आप कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी एसडी नाम भगवत सिंह पुत्र श्री चन्दू सिंह बारेठ मो.न. निवासी C-47 श्री रामनगर झोटवाडा जयपुर दिनांक 19.01.2026, इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भगवत सिंह द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत की। परिवादी श्री भगवत सिंह से मजीद दरियाप्त की गई तो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद हुई तथा परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी स्व.श्री चन्दूसिंह बारहठ पंचायत विभाग में ग्राम सेवक के पद पर थे, जिनका स्वर्गवास दिनांक 13.01.2021 को हो गया जिसके पश्चात् मेरी माता श्रीमती गीता देवी को पारिवारिक पेंशन मिलना शुरू हुई जिनके पीपीओ नंबर 197463 है तथा माह अक्टूबर 2025 तक मेरी माता जी को पेंशन बैंक अकाउन्ट में प्राप्त होती रही । इसके पश्चात माह नवम्बर 2025 में पेंशन में अनियमित कटौती हुई, जिसकी जानकारी हेतु मैं कार्यालय में दिनांक 12.01.2026 को गया। जहां मै श्री राजेश जी खण्डेलवाल से मिला तथा मेरी माताजी को मिल रही पेंशन में हुई कटौती के बारे में पुछा तो उन्होने बताया कि ये सिस्टम की खराबी है तथा पूरी पेंशन देने की एवज में 10,000/- की रिश्वत राशि की मांग की तथा श्री राजेश खण्डेलवाल ने मुझे बताया कि पूर्व का एरियर भी बाकी है जिसका भुगतान करना शेष है। उक्त एरियर का दस प्रतिशत हिस्सा रिश्वत राशि के तौर पर मांगा, जैसे एक लाख रूपए का दस प्रतिशत 10,000/- रूपए तथा दो लाख का 20,000/- व तीन लाख रूपए के 30000/- रूपए की रिश्वत राशि की मांग की तथा मुझे आज पेंशन कार्यालय में बुलाया जो मेरे से रिश्वत राशि की मांग करेगा। मैंने प्रार्थना पत्र पेंशन विभाग में माह 25 दिसम्बर 2025 व माह 29 जनवरी 2026 जरिए डाक द्वारा प्रेषित किया था। प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों एवं मजीद दरियाप्त से मामला प्रथम दृष्टया लोकसेवक द्वारा रिश्वत की मांग करना पाया जाता है। जिसके लिए परिवादी से संदिग्ध कर्मचारी से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना है इसलिए श्री ओमप्रकाश कानि.438 को बुलाया जाकर परिवादी भगवत सिंह से परिचय करवाया गया तथा ओमप्रकाश से कार्यालय की अलमारी में से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकालकर खाली होना सुनिश्चित किया एवं नया मेमोरी कार्ड 32 जीबी DAICHI कम्पनी निकलवाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालु व बन्द करने की प्रकिया समझाइस कर परिवादी को सुपुर्द कर श्री ओमप्रकाश कानि. के साथ मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु समय करीब 11.45 एएम

पर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीब 12.25 पीएम पर श्री ओमप्रकाश कानि. व परिवादी श्री भगवत सिंह उपस्थित कार्यालय आए तथा श्री ओमप्रकाश कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक बंद डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द किया तथा बताया कि मै व परिवादी भगवत सिंह मोटरसाईकिल एसीबी कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 11.50 एएम पर कोषालय पेंशन कार्यालय लालकोठी पहुचे जहां पर मैने परिवादी को समय करीब 11.58 एएम पर डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को चालूकर संदिग्ध से वार्ता करने हेतु कार्यालय पेंशन विभाग के लिए रवाना किया तथा मैं कार्यालय के आस-पास गोपनीय रूप से मुकिम हुआ। समय करीब 12.12 पीएम पर परिवादी मेरे पास आया तथा मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया, जिसको मैने बंद कर अपने पास रख लिया तथा परिवादी ने मुझे बताया कि मेरी आरोपी राजेश कुमार एएओ से मेरी बात हो चुकी है मेरी माताजी की पूर्ण पेंशन बनाने की एवज में 10000 रूपए तथा एरियर राशि का दस प्रतिशत रिश्वत राशि की मांग की है तथा पेंशन बैंक अकाउन्ट में आने के उपरांत रिश्वत राशि देने के लिए कहा है। इसके पश्चात् हम दोनों रवाना होकर एसीबी कार्यालय आए। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी भगवत सिंह ने श्री ओमप्रकाश कानि. द्वारा बतायी गयी बातो की ताईद करते हुए बताया कि मैं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर कोषालय कार्यालय में श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल एएओ से मिला तो उनके द्वारा मेरी माताजी की पूर्ण पेंशन बनाने की एवज में 10000 रूपए तथा एरियर राशि का दस प्रतिशत रिश्वत राशि की मांग की है तथा पेंशन बैंक अकाउन्ट में आने के उपरांत रिश्वत राशि देने के लिए कहा है। इसके पश्चात मैं बाहर आकर डिजिटल वॉयस रिर्कार्डिर श्री ओमप्रकाश को दे दिया जिन्होंने बंद कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को सरसरी तौर पर चलाकर सुना तो परिवादी द्वारा कही बातों की ताईद हुई। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बंद किया। परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी श्री राजेश कुमार एएओ के द्वारा रिश्वत राशि मेरी माता की पेंशन बैंक अकाउन्ट में आने के पश्चात् देने के लिए कहा है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा परिवादी के बतायी गयी बातो के अनुसार ट्रेप कार्यवाही आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर किए जाने का निर्णय लिया गया तथा हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किए तत्पश्चात् परिवादी को माताजी की पेंशन बैंक अकाउन्ट में आने के पश्चात रिश्वत राशि 10,000/- लेकर कार्यालय में उपस्थित होने तथा गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत की जाकर कार्यालय से रूखसत किया। बंद डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखा। दिनांक 03.02.2026 को समय करीब 10.15 एएम पर कानि. श्री ओमप्रकाश कानि. ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे पास समय करीब 9.54 पर परिवादी श्री भगवत सिंह का फोन आया और मुझे बताया कि मेरी माताजी श्रीमती गीता देवी की इस माह से पूरी पेंशन आ गयी है तथा अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है जब भी मेरी तबीयत ठीक होगी में एसीबी कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 08.02.26 को सयम 09.00 पीएम पर कानि. श्री ओमप्रकाश कानि. को जरिए व्हाट्सअप मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे पास समय करीब 8.47 पीएम पर परिवादी श्री भगवत सिंह का फोन आया और मुझे बताया कि मैं कल दिनांक 09.02.2026 को एसीबी कार्यालय में रिश्वत राशि लेकर उपस्थित हो जाउंगा। दिनांक 09.02.2026 को समय करीब 09.40 एएम पर परिवादी उपस्थित कार्यालय आया तथा कार्यालय स्टॉफ उपस्थित है। मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा श्री हवा सिंह मुख्य आरक्षक को स्वतंत्र गवाहान को बुलाने तथा टै्रप बॉक्स तैयार करने के निर्देश दिये। समय करीब 10.30 एएम पर इस समय पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश व श्री मोहम्मद आरिफ उपस्थित कार्यालय आये। स्वतंत्र गवाहान को मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री चन्द्रप्रकाश हाल वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय राष्ट्रीय अभिलेखाकार अभिलेख केन्द्र झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर व दुसरे ने अपना नाम श्री मोहम्मद आरिफ हाल बाईन्डर, कार्यालय राष्ट्रीय अभिलेखाकार अभिलेख केन्द्र झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर होना बताया। परिवादी श्री भगवत सिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश व श्री मोहम्मद आरिफ से आपस में परिचय करवाया तथा इसके पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान से टै्रप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। इसके पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिखाये व पढवाये जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात समय 12.15 पीएम मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री भगवत सिंह को संदिग्ध् अधिकारी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000/-रूपये निकालकर पेश किये। परिवादी द्वारा पेश्शुदा नोटो को स्वतंत्र गवाहान को दिखाया जाकर नोटो के नम्बरो का अंकन फर्द में करवाकर, नम्बरों का मिलान गवाहान से करवाया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री प्रवीण कुमार कानि न 222 से कार्यालय की अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को निकलवाया जाकर कमरे में रखी टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये को रखकर उक्त नोटो पर श्री प्रवीण कुमार कानि न 222 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पॉउडर लगवाया गया तथा एक साफ अखबार मंगवाया जाकर उस पर भी इसके पश्चात परिवादी श्री भगवत सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मोहम्मद आरिफ से लिवायी गयी, परिवादी के पास कपडों व मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं मिलने पर परिवादी के पास मोबाईल फोन छोडा गया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई

दस्तावेज/राशि/वस्तु नही मिली। इसके बाद श्री प्रवीण कानि न 222 भ्रनिब्यूरो जयपुर नगर तृतीय जयपुर से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगे हुए 10,000/- रूपये के नोटों परिवादी श्री भगवत सिंह की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाया गया। उक्त कार्यवाही की पृथक से विस्तृत फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया व श्री प्रवीण कानि न 222 भ्रनिब्यूरो जयपुर नगर तृतीय जयपुर से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया तथा श्री प्रवीण कानि न 222 भ्रनिब्यूरो जयपुर नगर तृतीय जयपुर को कार्यालय में ही छोडा गया। इसके पश्चात समय करीब 12.35 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक रामजीलाल ने श्री ओमप्रकाश कानि न 438 के साथ परिवादी श्री भवगत सिंह को प्राईवेट मोटरसाईकिल से, श्री अजय कुमार कानि न 190 व श्री विशाल बाछल वरिष्ठ सहायक को सरकारी मोटरसाईकिल से, सरकारी वाहन बोलेरों आरजे 14 यूजे. 5814 में श्री आलोकचन्द्र सहायक उप निरीक्षक के साथ श्री हवा सिंह हैड कानि, श्री उदय कानि न 170 स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश मय लैपटॉप प्रिन्टर मय टै्रप बॉक्स मय अन्य सामग्री के साथ पेंशन विभाग कार्यालय लालकोठी के लिए रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री सरदार सिंह कानि न 187, श्रीमती नीलम मकानि व स्वतंत्र गवाहान श्री मोहम्मद आरिफ सरकारी वाहन शिफ्ट डिजायर से पेंशन कार्यालय लालकोठी जयपुर के लिए रवाना होकर लालकोठी पेंशन कार्यालय से पूर्व बालाजी के मन्दिर के पास समय 12.45 पीएम पर पहुचा, जहां पर पीछे पीछे श्री ओमप्रकाश कानि न 438 के साथ परिवादी श्री भवगत सिंह को प्राईवेट मोटरसाईकिल से, श्री अजय कुमार कानि न 190 व श्री विशाल बाछल वरिष्ठ सहायक को सरकारी मोटरसाईकिल से, सरकारी वाहन बोलेरों आरजे 14 यूजे. 5814 में श्री आलोकचन्द्र सहायक उप निरीक्षक के साथ श्री हवा सिंह हैड कानि, श्री उदय कानि न 170, स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश आये। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने वाहनों को साईड में खडा करवाया तथा परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालू कर रवाना करने का निर्देश श्री ओमप्रकाश को देने पर श्री ओमप्रकाश कानि ने परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को समय 12.50 पीएम पर चालू कर पेंशन कार्यालय के लिए रवाना किया व श्री ओमप्रकाश कानि व दोनो स्वतंत्र गवाहान को परिवादी के आस पास गोपनीयता बनाये रखते हुऐ मुकिम किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान पेशन कार्यालय के आस पास परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकिम हुऐ। समय करीब 12.59 पीएम पर परिवादी भगवत सिंह ने पूर्व निर्धारित ईशारा मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नंबर पर मिस कॉल किया, परन्तु उक्त कॉल मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा रिसीव हो गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराही जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान को साथ लेकर कार्यालय कोषालय (पेंशन), प्लॉट नंबर 6-8 एवरेस्ट कॉलोनी, लालकोठी जयपुर के गेट पर पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री भगवत सिंह उपस्थित मिला। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर बंद कर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् परिवादी श्री भगवत सिंह ने बताया कि श्री राजेश खण्डेलवाल एएओ पेंशन विभाग मुझे कार्यालय के कमरा नंबर 5 में मिले, जिन्होंने मेरे से 10,000 रूपए की रिश्वत राशि अपने बांए हाथ से लेकर पर्स में रखकर पहनी हुई पेंट की पिछे की दांयी साईड की जेब में रख लिए है। इसके पश्चात मैंने बाहर आकर आपको निर्धारित ईशारा किया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व हमराहियान को साथ लेकर परिवादी के बताए अनुसार पेंशन विभाग के कार्यालय कमरा नंबर 05 में प्रवेश किया, जहां पर एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ मिला, जिनकी तरफ ईशारा कर परिवादी ने बताया कि यही श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल सहायक लेखाधिकारी पेंशन विभाग जयपुर है। परिवादी ने बताया कि मेरे पिताजी स्व. श्री चन्दूसिंह बारहठ पंचायत विभाग में ग्राम सेवक के पद पर थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 13.01.2021 को हो गया जिसके पश्चात् मेरी माता श्रीमती गीता देवी को पारिवारिक पेंशन मिलना शुरू हुई जिनके पीपीओ नंबर 197463 है तथा माह अक्टूबर 2025 तक मेरी माता जी को पेंशन बैंक अकाउन्ट में प्राप्त होती रही। इसके पश्चात माह नवम्बर 2025 में पेंशन में अनियमित कटौती हुई, जिसकी जानकारी हेतु मैं कार्यालय में दिनांक 12.01.2026 को गया। जहां मै श्री राजेश जी खण्डेलवाल से मिला तथा मेरी माताजी को मिल रही पेंशन में हुई कटौती के बारे में पुछा तो उन्होने बताया कि ये सिस्टम की खराबी है तथा पूरी पेंशन देने की एवज में 10,000/- की रिश्वत राशि की मांग की तथा श्री राजेश खण्डेलवाल ने मुझे बताया कि पूर्व का एरियर भी बाकी है जिसका भुगतान करना शेष है। उक्त एरियर का दस प्रतिशत हिस्सा रिश्वत राशि के तौर पर मांगा, जैसे एक लाख रूपए का दस प्रतिशत 10,000/- रूपए तथा दो लाख का 20,000/- व तीन लाख रूपए के 30000/- रूपए की रिश्वत राशि की मांग की तथा मुझे दिनांक 19.01.2026 को पुनः पेंशन कार्यालय में बुलाया। इसके पश्चात मैंने एसीबी कार्यालय में दिनांक 19.01.2026 को शिकायत प्रस्तुत की। उक्त दिनांक को मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल के द्वारा मेरी माताजी की पूरी पेंशन बनाने की एवज में 10,000/- रूपए तथा एरियर बनाने की एवज में एरियर का दस प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि की मांग की। आज दिनांक को श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल ने अपनी मांग के अनुशरण में 10,000/- बांए हाथ से प्राप्त कर अपने पर्स में रखकर अपनी पहनी हुई पेंट की पिछे की दाहिनी साईड की जेब में रख लिया। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त संदिग्ध व्यक्ति का श्री अजय कानि. 190 से दायॉ हाथ व श्री ओमप्रकाश कानि. 438 से बाये हाथ कोहिनी के पास से पकडावाकर स्वयं व हमराहियान का परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति से नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री रामकिशोर

खण्डेलवाल, उम्र 56 साल, जाति खण्डेलवाल, निवासी मकान नम्बर सी-9/618 कृष्णा मार्ग चित्रकूट, वैशालीनगर जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम, पेंशन विभाग, कार्यालय कोषालय (पेंशन), प्लॉट नंबर 6-8 एवरेस्ट कॉलोनी, लालकोठी जयपुर होना बताया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक के द्वारा आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल एएओ से परिवादी श्री भगवत सिंह से 10,000/- रूपए की रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल घबरा गया तथा पुनः मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी राजेश कुमार खण्डेलवाल को तसल्ली देकर पुछा तो बताया कि मैंने भगवत सिंह से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है तथा भगवत सिंह की माता की पेंशन व एरियर राशि 10-12 दिन पूर्व ही बन चूकी है। मेरे पास इनका कोई काम नहीं है तथा मैंने भगवत सिंह को फोन भी नहीं किया, भगवत सिंह अपनी इच्छा से ही आज मुझे 10,000/- रूपए देकर गया है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री भगवत सिंह ने आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल एएओ की कही बातो का खण्डन करते हुऐ पूर्व में कही बातो की ताईद करते हुए बताया कि मेरे पिताजी के स्वर्गवास के पश्चात मेरी माता श्रीमती गीता देवी को पारिवारिक पेंशन मिलना शुरू हुई, माह नवम्बर 2025 में पेंशन में अनियमित कटौती हुई, जिसकी जानकारी हेतु मैं कार्यालय में गया। जहां श्री राजेश जी खण्डेलवाल से मिला तो उन्होने बताया कि ये सिस्टम की खराबी है तथा पूरी पेंशन देने की एवज में 10,000/- रूपए व एरियर का दस प्रतिशत हिस्सा रिश्वत राशि के तौर पर मांग की तथा आज दिनांक को आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल ने अपनी मांग के अनुशरण में मुझसे 10,000/- बांए हाथ से प्राप्त कर अपने पर्स में रखकर अपनी पहनी हुई पेंट की पिछे की दाहिनी साईड की जेब में रख लिए। जिस पर मेरे द्वारा आपको ईशारा किया गया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल की तलाशी श्री चन्द्रप्रकाश स्वतंत्र गवाह से लिवाई गई तो आरोपी पहनी हुई पेंट की पिछे की दाहिनी जेब से एक पर्स निकाला उक्त पर्स में 500-500 रूपए के नोट, एक 200रूपए का, एक 100 रूपए का नोट, कुछ सिक्के व एक एसबीआई बैंक का एटीएम विभाग का पहचान पत्र मिले। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश से उक्त 500-500 रूपए के नोटों को गिनवाए तो कुल 20 नोट राशि 10,000/- रूपए होना बताया। उक्त नोटो को पूर्व में कार्यालय में बनायी गयी फर्द सुपुर्दगी नोट से दोनों स्वतंत्र गवाहान् से नोटो के नंबर का मिलान करवाया तो हूबहू होना बताया। उक्त रिश्वत राशि को स्वतंत्र गवाह श्री चन्द्रप्रकाश के पास सुरक्षित रखवाई गयी तथा तलाशी के दौरान मिले 306/- रूपए के बारे में पुछा तो आरोपी ने उक्त राशि स्वयं के खर्चे के होना बताया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री भगवत सिंह द्वारा कही गई बातों की ताईद करने के लिए परिवादी व दोनां स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ बोतल में स्वच्छ पानी भरवाया जाकर दो पारदर्शी नए प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में स्वच्छ पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल के दांहिने हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क R-1 व R-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त विधि से ही दूसरे साफ स्वच्छ पानी से भरे साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण में आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल के बांये हाथ की अगुंलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। चूंकि आरोपी श्री राजेश कुमार के द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने पर्स में रखकर पेंट में रख लिया, इसलिए आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल के पर्स में जिस स्थान पर रिश्वत राशि रखी गयी उसका धोवन लिया जाना है इसलिए उपरोक्त विधि अनुसार साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल में स्वच्छ पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पॉउडर डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल एएओ के पर्स में जिस स्थान से रिश्वत राशि बरामद हुई, उक्त स्थान पर एक सफेद रूई की चिंदी से रगडकर उक्त धोवन में डुबोया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गदमैला होना बताया। उक्त धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकर सील चस्पा किया गया तथा मार्क P-1 व P-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसके पश्चात उक्त सफेद रूई की चिंदी को सुखाकर एक प्लास्टिक की पन्नी में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाया गया तथा मार्क C अंकित किया तथा आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल का पर्स बरंग गहरा कॉफी पर स्वतंत्र गवहान के हस्ताक्षर करवाया जाकर एक सफेद कपडे़ की थैली में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर मार्क P अंकित कर सील चस्पा कर कब्जे एसीबी लिए गए। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश के पास सुरक्षित

रखे 500-500 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के 20 नोटों को पुनः पूर्व में बनायी गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से नंबरो का मिलान करवाया गया तो हुबहू होना पाये गये। उक्त रिश्वती राशि का विवरण निम्नानुसार हैः- 1- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8WT 891130 2- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5MR 117884 3- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8PP 682197 4- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4HC 058805 5- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2HH 704034 6- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1KT 050339 7- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4MS 187235 8- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6RH 425959 9- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8SB 905359 10- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5DA 069412 11- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1BC 508687 12- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4AM 750224 13- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4AB 292899 14- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4QP 820198 15- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1SW 199019 16- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3BT 802532 17- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7UC 726425 18- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2AR 227273 19- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3LT 042889 20- एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5QB 389089 उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल राशि 10,000/- रूपये को एक सफेद कागज के साथ नत्थी किया जाकर सीलमोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर नोटों को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री भगवत सिंह की माताजी के पेंशन प्रकरण से संबंधित पत्रावली के बारे में पूछने पर आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल एएओ ने उक्त पत्रावली कार्यालय में रखी होना बताया। इस संबंध में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कोषाधिकारी जयपुर के नाम परिवादी की माताजी की पेंशन पत्रावली की प्रमाणित व आरोपी का सेवा विवरण उपलब्ध करवाने हेतु पत्र दिया गया। परिवादी श्री भगवत सिंह व आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल एएओ के मध्य हुई लेन देन वार्ता जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कॉर्ड मे रिकॉर्ड है, को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सरसरी तौर पर चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होने की पुष्टि होती है, उक्त वार्ता में सुनने पर पाया गया कि परिवादी के द्वारा उक्त राशि दराज में रखने के बारे में वार्ता दर्ज है इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से उक्त वार्ता के संबंध में पुछा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी राजेश कुमार खण्डेलवाल ने मुझसे रिश्वत राशि दांये हाथ से लेकर अपने टेबिल की उपर की दराज में रख लिए इसके बाद जब मैं जाने लगा तब आरोपी राजेश कुमार खण्डेलवाल ने उक्त रिश्वत राशि अपने पर्स में रख ली थी। इसलिए मैं दराज मे रिश्वत राशि रखी जाने वाली बात बताना भूल गया । इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजेश कुमार से उक्त संबंध में पूछा तो आरोपी ने स्वीकार किया कि भगवत सिंह द्वारा दिए गए पांच-पांच सौ रूपए के नोटो को मैंने पहले टेबिल की उपर की दराज में रखकर बाद में अपने पर्स में रख लिए। चूंकि आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल द्वारा रिश्वत राशि 10,000/- परिवादी से प्राप्त की जाकर अपनी टेबिल के उपर की दराज में रखे गए थे इसलिए उक्त दराज का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से परिवादी व दोनां स्वतंत्र गवाहान के समक्ष एक साफ बोतल में स्वच्छ पानी भरवाया जाकर दो पारदर्शी नए प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में स्वच्छ पानी भरवाकर उसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट की डालकर मिश्रण तैयार करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान व उपस्थितजनों को दिखाया गया तो सभी ने मिश्रण का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मिश्रण मे आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल की टेबिल की उपर की दराज में एक साफ सफेद कपडे की चिंदी को दराज में रगडकर कपडे की चिंदी को उक्त धोवन में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी .हो गया। जिसे सभी उपस्थितगणों को दिखाया गया तो सभी ने धोवन का रंग गुलाबी होना बताया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों मे आधा-आधा डालकर शीशीयों पर ढक्कन लगाकार सील चस्पा किया गया तथा मार्क T-1 व T-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। इसके पश्चात उक्त सफेद कपडे की चिंदी को सुखाकर, उक्त चिंदी पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर, सफेद कपडे की थैली में रखकर सील्ड कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाया गया तथा मार्क C.1 अंकित किया जाकर एक सफेद कपडे़ की थैली में रखकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाए जाकर सील चस्पा कर कब्जे एसीबी लिए गए। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द हाथ धुलाई व बरामदगी रिश्वती राशि मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। उक्त कार्यवाही की वीडीयोग्राफी श्री विशाल बाछल से विभागीय केमरे में नया मेमोरी कार्ड लगाकर करवाई गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम को आवाज नमूना प्राप्त करने हेतु नोटिस दिया गया, जिस पर आरोपी आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम ने अंकित किया कि मै मेरी आवाज का नमूना नही देना चाहता हू। उक्त आवाज नमूना नोटिस को शामिल कार्यवाही किया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम को स्वयं द्वारा किये गये जुर्म में बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत गिरफतार किया जाना है। अतः आरोपी को गिरफ्तारी की सूचना देने हेतु उनके नाम पत्र जारी किया गया। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम के विरूद्व अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने से अपराध से आगह बीएनएस में नियत प्रावधानों के अनुसार जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी, स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल

मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया तथा हमराहियान के साथ एसीबी कार्यालय के लिए रवाना हुआ। इस समय मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम के कार्यालय की सर सरी तौर पर तलाशी ली गई। जिसमें कोई संदिग्ध वस्तु राशि नहीं मिली। इस समय कोषाधिकारी पेंशन लालकोठी जयपुर के पत्रांक 1159 दिनांक 09.02.2026 से परिवादी की माताजी की पेंशन पत्रावली की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त हुई, जिन पर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के प्रथम व अन्तिम पेज पर हस्ताक्षर करवाया जाकर शामिल कार्यवाही की गई। इस समय आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम से पूछताछ की जाकर पूछताछ मूर्तिब किये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने मय हमराहियान, परिवादी, स्वतंत्र गवाहान मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराह आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम, जब्त शुदा आर्टिकल्स एवं रिश्वती राशि 10,000 रूपये मय कब्जे एसीबी लिया गया आरोपी का मोबाईल फोन मय लैपटॉप प्रिन्टर व टै्रप बॉक्स के मय सरकारी वाहन मय चालक के अलग अलग एसीबी कार्यालय में समय 6.35 पीएम पर पहुचे, जप्तशुदा समस्त आर्टिकलस को श्री हवा सिंह हैड कानि. न. 09 को सुपुर्द कर सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया तथा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुबह कार्यालय समय पर उपस्थित होने के लिए पाबन्द कर रूखस्त किया। दिनांक 10.02.2026 को परिवादी श्री भगवत सिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश व श्री मोहम्मद आरिफ उपस्थित कार्यालय आये। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री भगवत सिंह व स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश व श्री मोहम्मद आरिफ की उपस्थिति में परिवादी श्री भगवत सिंह व आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम के मध्य दिनांक 19.01.2026 को हुई मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 09.02.2026 को हुई लेन देन वार्ता जो मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया जो कार्यालय की आलमारी से निकालकर कार्यालय के लैपटॉप से जोडकर सुना जाकर तैयार ट्रांसक्रिप्ट से मिलान करवाया गया, वार्ताओ को सुनकर परिवादी श्री भगवत सिंह ने अपनी आवाज एवं दुसरी आवाज श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम की पहचान की तथा रिकॉर्ड वार्ता का पेन ड्राईव में बनवाने हेतु कार्यालय से 03 पेन ड्राईव मंगवाये जाकर पेन ड्राईव खाली होना सुनिश्चित कर कार्यालय लेपटॉप की सहायता से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमेरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ताओं की 03 पेन ड्राईव में अपलोड कर 03 पेन ड्राईव में वाईस क्लिप होना सुनिश्चित कर पेन ड्राईव पर क्रमशः मार्क M-1, M-2 व M-3 अंकित किया जाकर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तीन पेन ड्राईव मार्क M-1, M-2 को अलग-अलग कवर में रखकर अलग-अलग कपड़े की थैलियों में रखकर सील मोहर किया जाकर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव मार्क M -3 को खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मांग सत्यापन के दौरान उपयोग में लिये गये मेमोरी कार्ड 32 जीबी DAICHI कम्पनी को मार्क SD अंकित किया जाकर मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक के मेमोरी कार्ड कवर में रखकर सफेद कपडे की थैली में रखकर शील्ड मोहर कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जप्त किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। एफटीके ईमेजर हैश वैल्यू निकाली जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। समय करीब 01.45 पीएम पर फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड जो दिनांक 9.02.2026 को टै्रप कार्यवाही के दौरान वीडीयोग्राफी करने हेतु कार्यवाही में लिया गया, उक्त मेमोरी कार्ड 32 जीबी DAICHI कम्पनी को कार्यालय के लैपटॉप में जोडकर 03 नये पैन ड्राईव मंगवाया जाकर लैपटॉप की सहायता से अपलोड किया जाकर मार्क XYZ दिया तथा मार्क X-Y को सील्ड किया व मार्क Z को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। एफटीके ईमेजर हैश वैल्यू निकाली जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द जप्ती पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने सम्पूर्ण टै्रप कार्यवाही में जब्त किये गये आर्टिकल्स में पीलत की सील प्रयोग में ली गई,उक्त सील की फर्द नमूना सील मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, फर्द पेशकशी एवं सपुर्दगी नोट, फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द गिरफ्तारी, फर्द नक्शा मौका एंव हालात मौका घटनास्थल, फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता एवं मौके की हालात से पाया गया कि आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री रामकिशोर खण्डेलवाल, उम्र 56 साल, जाति खण्डेलवाल निवासी मकान नम्बर सी-9/618 कृष्णा मार्ग चित्रकूट, वैशालीनगर जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम, पेंशन विभाग, कार्यालय कोषालय (पेंशन), प्लॉट नंबर 6-8 एवरेस्ट कॉलोनी, लालकोठी जयपुर द्वारा लोकसेवक होते हुये अपनी पदीय स्थिति एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग करते हुए परिवादी श्री भगवत सिंह की माताजी के पेंशन में माह नवम्बर 2025 से हुई कटौती को सही कर पूर्ण पेंशन बनाने की एवज में 10,000/- रूपए एवं एरियर भुगतान का दस प्रतिशत रूपए की रिश्वत राशि की मांग दिनांक 19.01.2026 को किया जाकर अपनी मांग के अनुशरण मे दिनांक 09.02.2026 को रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान 10,000 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करना व आरोपी के पर्स से रिश्वत राशि बरामद होने से आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री रामकिशोर खण्डेलवाल, उम्र 56 साल, जाति खण्डेलवाल निवासी मकान नम्बर सी-9/618 कृष्णा मार्ग चित्रकूट, वैशालीनगर जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम, कार्यालय कोषालय (पेंशन), प्लॉट नंबर 6-8 एवरेस्ट कॉलोनी, लालकोठी जयपुर के विरूद्व धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रधान आरक्षी केन्द्र एसीबी मुख्यालय जयपुर प्रेषित है। रामजीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ

जयपुर.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रामजीलाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर- चतुर्थ, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री रामकिशोर खण्डेलवाल, उम्र 56 साल, जाति खण्डेलवाल निवासी मकान नम्बर सी-9/618 कृष्णा मार्ग चित्रकूट, वैशालीनगर जयपुर हाल सहायक लेखाधिकारी प्रथम, कार्यालय कोषालय (पेंशन) प्लॉट नंबर 6-8 एवरेस्ट कॉलोनी, लालकोठी जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 188 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 228-31 दिनांक 12.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर 2-निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर। 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, आयुक्तालय जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-चतुर्थ, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURESH KUMAR SWAMI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/02/2026 14:32:13

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)